विहंगावलोकन

अध्याय I : प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से राजस्व की लेखापरीक्षा की जाती है।

1,971.33 करोड़ रूपए के कर प्रभाव वाली नौ सौ पांच अभ्युक्तियां अलग ड्राफ्ट पैराग्राफों के रूप में मंत्रालय को जारी की गयीं जिनमें वे 388 अभ्युक्तियां शामिल थीं जिनमें 530.62 करोड़ रूपए का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था जो पूर्ववर्ती वर्षों में की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा से उद्भूत हुआ है। 1,770.30 करोड़ रूपए के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त आठ सौ बासठ अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन में शामिल की गयी हैं। 2265 मामलों में समय पर उपचारी कार्रवाई न करने के कारण 911.27करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई।

2005-06 के दौरान 2517 मामलों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के कहने पर 305.63 करोड़ रूपये की वसूली की गयी।

2005-06 के दौरान निपटान के लिए 12.78 लाख मामलों के लक्ष्य में से 63.07 प्रतिशत का शेष छोड़ते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा मात्र 4.72 लाख मामले देखे गए।

विभाग ने 39,663 मामले अथवा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किए गए 67 प्रतिशत मामले प्रस्तुत नहीं किए और 2005-06 में पुनः लेखापरीक्षा के लिए मांग की जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान प्रभारों में तीन अथवा अधिक क्रमिक लेखापरीक्षा चक्रों में प्रस्तुत न किए गए 110 मामले शामिल थे। फलस्वरूप ऐसे मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

अध्याय II : कर प्रशासन

प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण 2001-02 में 69,198 करोड़ रूपये से 19.73 प्रतिशत की वृद्धि की औसत वार्षिक दर पर बढ़कर 2005-06 में 1,65,216 करोड़ रूपये हो गए। निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहणों को 74.98 प्रतिशत निर्धारण पूर्व अवस्था पर किया गया जिसमें से 53.37 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में था। गैर - निगमित निर्धारितियों के मामले में सकल संग्रहण का 90.64 प्रतिशत निर्धारण पूर्व अवस्था पर किया गया जिसमें से 51.89 प्रतिशत टी डी एस के रूप में था। निर्धारितियों की कुल संख्या में 3.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 2001-02 से 2005-

06 के दौरान 2.62 करोड़ से वृद्धि होकर 2.98 करोड़ हो गयी जोकि 2000-05 में वृद्धि दर के 4.28 प्रतिशत से कम था। 2005-06 के दौरान संवीक्षा के लिए चुने गए मामलों की संख्या 2004-05 में 2.46 लाख की तुलना में कम होकर 2.03 लाख थी। संक्षिप्त रीति में पूरे किए गए निर्धारणों की प्रतिशतता में कमी रही जिसके परिणामस्वरूप कुल लम्बन 2004-05 में 22.57 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 31.18 प्रतिशत हो गया। 2,60,603 करोड़ रूपये की कुल मांग में से 95,387 करोड़ रूपये की असंगृहीत राशि में पूर्ववर्ती वर्षों की 58,385 करोड़ रूपये की मांग और 37,002 करोड़ रूपये की चालू मांग शामिल थी जो 31 मार्च 2006 को बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान निगम कर में बकाया मांग में 39,204 करोड़ रूपये से वृद्धि होकर 55,098 करोड़ रूपये हो गयी और आयकर में 83,977 करोड़ रूपये से कमी होकर 40,289 करोड़ रूपये रह गई। टी आर ओ को प्रमाणित मांग की वसूली की प्रतिशतता 2004-05 के दौरान 16 प्रतिशत से कम होकर 2005-06 के दौरान लगभग 14 प्रतिशत रह गयी है। तथापि टी आर ओ की कार्यकारी क्षमता भी 2005-06 के दौरान 356 से कम होकर 329 रह गयी।

अध्याय III : निगम कर

निगम कर से प्राप्तियां 1,01,277 करोड़ रूपये बनती थीं जो 2005-06 के दौरान प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण का 61.30 प्रतिशत बनती थीं। 31 मार्च 2006 को निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.93 लाख थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.42 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक थी। निगमित निर्धारितियों के सम्बन्ध में निर्धारणों में विभिन्न अनियमितताओं जैसे सही आंकड़ों के अपनाने में गलतियां, कर की गलत दर लागू करना और अधिभार का अनुद्ग्रहण, कारबार आय की संगणना में गलतियां, अनुचित व्यय अथवा प्रावधान और दावे अनुमत करना, पूंजीगत अभिलाभों की गलत संगणना, हानियों का अग्रेनयन और समंजन, राहतों और छूटों की गतल अनुमति,अधिक अथवा अनियमित प्रतिदाय, ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण के कारण 1893.21 करोड़ रूपये के कर के अवप्रभार से अन्तर्ग्रस्त 653 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 17.10 करोड़ रूपये के कर के अति प्रभार से अन्तर्ग्रस्त 12 अभ्युक्तियां वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए जारी की गयीं। 1,697.76 करोड़ रूपए के कर के अवप्रभार से अर्न्तग्रस्त छह सो बीस मामलों और 17.10 करोड़ रूपए के अतिप्रभार से अर्न्तग्रस्त 12 अभ्युक्तियों को इस अध्याय में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन के तैयार किए जाने की तारीख तक 307.17 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 248 मामलों में अभ्युक्तियां स्वीकार कीं।

अध्याय IV : आयकर

आयकर से प्राप्तियां 55,985 करोड़ रूपए बनती थीं जो 2005-06 में प्रत्यक्ष करों से कुल संग्रहण का 33.89 प्रतिशत बनती थीं। 31 मार्च 2006 को आयकर निर्धारितियों की संख्या 2.94 करोड़ थी जो पूर्व वर्ष की तुलना में 9.70 प्रतिशत की वृद्धि की

द्योतक थी। आयकर निर्धारणों में विभिन्न अनियमितताओं जैसे गलत आंकड़ों का अपनाना, कर की गलत दर लागू करना, अधिभार का अनुदग्रहण, देयताओं की गलत अनुमति, कारबार आय की संगणना में गलतियां, मूल्यह्रास की गलत छूट, पूंजीगत अभिलाभों की गलत संगणना, निर्धारण से आय के छूटने को अनुमत करना, हानियों का अग्रेनयन और समंजन, निर्यात लाभों के सम्बन्ध में कटौती की गलत अनुमति, अनियमित प्रतिदाय, ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण, अधिक निर्धारण/ अति प्रभार, शास्ति के उद्ग्रहण में चूक और संक्षिप्त निर्धारणों में गलती के कारण 50.88 करोड़ रूपये के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त एक सौ चौहत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस अध्याय में शामिल की गयी हैं। वित्त मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन के तैयार किए जाने की तारीख तक 18.77 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त पैसठ मामलों में अभ्युक्तियां स्वीकार कीं।

अध्याय V : अन्य प्रत्यक्ष कर

धनकर और ब्याज कर निर्धारणों में विभिन्न अनियमितताओं जैसे परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन मे गलतियां, निवल धन में कर योग्य परिसम्पत्तियों को शामिल न करना, निर्धारण से छूट गया धन, निर्धारण अभिलेखों का सहसम्बद्ध न होना, ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां, कर की दरों को लागू करने में गलतियां और प्रभार्य ब्याज के निर्धारण में गलतियों के कारण 5.18 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त अनियमितताओं के छप्पन मामले इस अध्याय में शामिल किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन के तैयार किए जाने की तारीख तक 2.34 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 27 मामलों में अभ्युक्तियां स्वीकार कीं।